भारतीय मानक ब्यूरो प्लॉट नं0 4 -ए, सेक्टर 27 - बी, चण्डीगढ़ - 160019

अनुसूची : 1

निविदा सूचना : दैनिक आधार पर वाहनों को भाड़े पर रखना ।

भारतीय मानक ब्यूरो निम्नलिखित विवरण के अनुसार योग्य बोलीदाताओं से प्लाट् नं0 4 -ए, सैक्टर 27-बी, चण्डीगढ़ पर स्थित अपने कार्यालय के लिए **दैनिक आधार पर** उपलब्ध कराने के लिए द्विबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत मुहरबंद बोलियाँ आमंत्रित करता है:

क्रम सं	वाहनों के प्रकार (मेक)					
1	मीडियम सेग्मेंट की सेडॉन कार : फोर्ड ऑइकॉन/ह़यन्डई एसेंट/टाटा इंडिगो/मारूति					
	डिज़ायर अथवा अन्य समकक्ष					
2	ऊंचे सेग्मेंट की सेडॉन कारें: (एस एक्स 4 /होंडा सिटी /इनोवा)					
3	पिक अप वैन					

1 योग्यता :

- क) बोलीदाता एक मॉडल के (जब भी जैसी आवश्यकता हो) 4 से अधिक वाहन उपलब्ध करवाने में सक्षम हो जोकि चार वर्ष से अधिक पुराना न हो एवं वाहन के 65000 किमी0 पूरे न हुए हों।
- ख) बड़े प्राइवेट क्षेत्र की फर्मों , भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों/पी एस यू/बड़े कार्पोरेटों को सवारी वाहन उपलब्ध करवाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो (पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी विभाग/पी एस यू/ बड़े कार्पोरेटों से प्राप्त आदेशों की प्रतियां)
- ग) पिछले तीन वर्षों (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) के वार्षिक लेखों की प्रतियां संलग्न करें
- घ) इनके व्यवसाय की प्रकृति यात्रा एवं परिवहन हो (यदि उपलब्ध हो तो इसके लिए प्रमाण पत्र लगायें)
- ड.) उसके पास सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या हो तथा जिस प्राधिकारी से पंजीकृत हो, वह बताएं।

- च) भारत सरकार के विभागों/ मंत्रालयों/पी एस यू/ राज्य सरकार द्वारा काली सूची में न डाला गया हो (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्त्त की जाए)(अन्बंध 4)
- 2. दर अनुबंध की प्रस्तावित वैद्यता : तीन वर्ष । फिर भी, अनुबंध की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी एवं फर्म की संतुष्टिपरक संवाओं के शर्ताधीन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर अनुबंध प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा।
- 3. निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता :

स्थान : उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 -ए, सेक्टर 27 - बी, चण्डीगढ़ - 160019 एवम्

बीआईएस वेबसाइट: www.bis.org.in एवम् www.eprocure.gov.in

अवधि : 10 tuojh 2017 से 31 tuojh 2017 (1500 बजे तक)

- 4. **प्री-बिड कॉफ्रेंस** : 25 tuojh 2017(1500 बजे) को उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में ।
- 5. **बोली जमा करना** : **31 tuojh 2017 (1500 बजे तक)** को उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में ।
- 6. बोलियां खोलना : तकनीकी बोलियां 31 tuojh 2017 (1530 बजे) को उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में खोली जाएंगी। वित्तीय बोली को खोलने की तिथि बोली की तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही स्निश्चित की जाएगी।
- 7. बोलियां जमा करवाने की पद्धति/तरीका : एक लिफाफे पर "बी आई एस, चण्डीगढ़ में वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदा " लिखकर उसमें दो लिफाफों पर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली लिखें और उन पर पार्टी का नाम एवं पता लिखकर उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में भेजें।
- 8. **धरोहर जमा राशि** : रूपए 10,000.00
- 9. कार्यकारिता प्रतिभूति जमा : रूपए 30,000.00

10 बोलियों की वैद्यता : तकनीकी बोली खुलने से 90 दिन

11 ब्यूरो कोई कारण बताए बिना किसी बोली या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12 fdlh Hkh izdkj dh =qfV gksus ij bl fufonk ds vaxzsth ek/;e okys va"k dks gh vafre ekuk tk,A

उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

निविदा दस्तावेज

अनुसूची – 1 बोलीदाताओं हेतु निर्देश

1 बोलियों के आमंत्रण हेत् सूचना :

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) द्वारा योग्य बोलीदाताओं से निविदा दस्तावेज की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार दैनिक आधार पर वाहन भाडे पर लेने के लिए द्विबोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय बोली) के तहत मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

2 निविदा दस्तावेज जारी करना :

- 2.1 कार्यालयीन समय के दौरान अनुसूची-4 में दशाई गई अवधि के दौरान रिक्त निविदा दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
- 2.2 खाली निविदा दस्तावेज़ ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.3 टेंडर जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली में ही शामिल करने के लिए शुद्धि पत्र/परिशिष्ठ के रूप में संभावित बोलीदाताओं के लिए सूचित किया जाएगा ।
- 2.4 बोली दस्तावेज में कहीं भी किसी परिवर्तन और परिवर्द्धन की अनुमित नहीं होगी। ऐसा पाया जाने पर बोली निरस्त की जा सकती है।
- 2.5 बोलीदाता की बोली को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से जुंडे सभी व्यय का वहन बोलीदाता को करना होगा। बोली प्रकिया का संचालन या परिणाम कुछ भी होने पर ब्यूरो किसी भी स्थिति में ऐसे व्यय के लिए उत्तरदायी या देनदार नहीं होगा।

3. बोली/संविदा की भाषा

बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी और सभी पत्राचार अंग्रेजी/हिन्दी आदि में किए जाएंगे ।

4. बोली पूर्व कान्फ्रेंस

4.1 बोली से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं की कॉन्फ्रेंस अनुसूची 4 में दर्शाई गई निर्धारित दिनांक एवं समय पर आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने की अनुमति होगी।

5. बोलियों की वैधता:

5.1 बोलियां ख्लाने की तिथि से 90 दिनों की अविध के लिए वैध होंगी।

6. धरोहर राशि/बोली प्रतिभूति

- 6.1 बोलीदाता द्वारा व्याज मुक्त धरोहर राशि (ईएमडी) के अनुसार अनुसूची 4 में दर्शाई गई राशि ब्यूरो के पास जमा की जाएगी | दर्शाई गई राशि डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में या अनुसूची 7 के अनुलग्न 1 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी |
- 6.2धरोहर जमा राशि जमा करने में चूक या त्रुटि बोली को अयोग्य करेगी तथा ब्यूरो ऐसी किसी प्रकार की अयोग्य बोली/बोलियों पर विचार नहीं करेगा
- 6.3 बोली की वैधता अविध के दौरान ब्यूरो की सहमित के बिना बोलीदाता अपनी बोली रद्द नहीं कर सकता अथवा इसकी शर्तों और निबंधनों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यिद बोलीदाता बोली को रद्द करता है अथवा इसकी शर्तों एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन करता है तो उसकी धरोहर राशि ब्यूरो द्वारा अपने अधिकारों और प्रतिकार के पूर्वाग्रहों के बिना जब्त कर ली जाएगी और इसे हटाने की तारीख से लेकर अगले 24 माह के दौरान बोलीदाता ब्यूरो की वाहनों की आपूर्ति के लिए बोली लगाने अथवा संविदा के आधार पर बोली लगाने के लिए अयोग्य होगा
- 6.4 यदि सफलतम बोलीदाता निर्धारित सीमा में निष्पादन प्रतिभूति का भुगतान नहीं करता है या अनुबंध बॉन्ड को हस्ताक्षरित करने से चुकता है तो ब्यूरो द्वारा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी |
- 6.5 असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) सफल बोलीदाता ब्यूरो को अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद तथा संविदा को हस्ताक्षरित करने के बाद या बोलियों

की वैधता अविध के समाप्ति के तीस दिनों के बाद इसमें से जो भी पहले हो, वापस लौटा दी जाएगी।

7. योग्य बोलीदाता

- क) 4 से अधिक वाहन होने चाहिए (आवश्यकतानुसार)और ये 4 वर्ष से पुराने न हों और वाहन 65000 किमी. से ज्यादा न चला हो।
- ख) बड़ी प्राइवेट सेक्टर की फर्मों, भारत सरकार के विभाग/मंत्रालय/पीएसयू/बड़े कार्पोरेटों को वाहन उपलब्ध कराने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो (पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी विभाग/पीएसयू/बड़े कार्पोरेटों से प्राप्त आदेशों की प्रतियाँ संलग्न करें)।
- ग) पिछले तीन वर्षों (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) के वार्षिक लेखों की प्रतियाँ संलग्न करें ।
- घ) इनके व्यवसाय की प्रकृति यात्रा एंव परिवहन हो (यदि उपलब्ध हो तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगायें)
- इ) उसके पास सेवाकर पंजीकरण संख्या हो तथा जिस प्राधिकारी से पंजीकृत हो, वह बताये
- च) उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के विभागों/ मंत्रालयों द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत की जाए) (अनुबंन्ध-4)

8. दरं कैसे उद्त की जाएगी

8.1 बोलीदाता से कार्य क्षेत्र/ अन्य शर्तों के मद्देनजर अपनी दरें निकालने तथा दरें उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती है | बोली देने से पूर्व, बोलीदाता ने अपनी बोलियों के संबंध में उनका यथा संभव तथा पर्याप्त संलग्न अनुसूचियों में उद्दृत दरों एवं मूल्य के बारे में संतुष्टि कर ली है, ऐसा समझा जाएगा | इन दरों एवं मूल्यों में संविदा के तहत इसकी सभी बाध्यता तथा उनकी देयता समुचित रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक चीजें, तथा अन्यथा उपबंधों को छोड़कर शामिल होगी |

8.2 वितीय बोली में किसी प्रकार के सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कर या कोई अन्य कर शामिल न हों । सरकार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले कर बोलीदाता द्वारा बोली में उद्दृत दरों के अतिरिक्त बोलीदाता से ही वसूल किए जाएंगे अथवा इनका भुगतान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संबंधित प्राधिकारी को नियमानुसार प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाएगा।

9. बोली जमा करने का तरीका

- 9.1 पूर्ण बोली अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार बोली बॉक्स में अथवा डाक द्वारा तय निर्धारित समय से पूर्व तय स्थान तक पहुंचायी जाए |
- 9.2 ईमेल या फ़ैक्स वाले प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएंगे |

10. बोली पहंचाने की अंतिम तिथि

10.1 मुहर बंद बोलियाँ निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक तक या दिए गए पते (अनुलग्नक-4) पर प्राप्त की जाएगी | निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा अतः ऐसी बोलियाँ रद्द कर दी जाएगी तथा बोलीदाताओं को खोले बिना ही लौटा दी जाएगी |

10.2 बोली प्रस्ताव जमा करने की निर्दिष्ट तिथि पर छुट्टी घोषित किए जाने के मामले में अगले कार्यालयी दिवस को नियत समय तक प्राप्त किया जाएगा |

11 प्रस्ताव में संशोधन एंव वापसी

बोलीदाता प्रस्ताव जमा करवाने के पश्चात उसे वापस नहीं ले सकता है और न ही उसकी शर्तों एवं अनुबंधों में संशोधन कर सकता है। यदि बोलीदाता यहाँ दिए गए अनुबंधों का पालन करने में असमर्थ रहता है या दरें उद्धृत करने के पश्चात् हट जाता है तो ब्यूरो द्वारा उसकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

12 बोली दस्तावेज की अंतर्वस्तु

12.1 बोलियाँ दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वितीय बोली) में आमंत्रित की जाती है | बोलिया अनुसूची-4 में दर्शाये अनुसार मुहरबंद लिफाफे पर " वाहनों को भाडे पर लेने हेतु" जमा की जाएगी ।

12.2 लिफाफे में निम्नलिखित रखें:

- क) लिफाफा **नं 1 (तकनीकी बोली)** : इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम और शर्तों के साथ-साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल करने चाहिए ।
- (क) संलग्न सभी दस्तावेजों की सूची:
- (ख) उपरोक्त खंड 6.1 में दर्शाये गए अनुसार धरोहर राशि जमा (EMO) या संबंद्ध मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी छूट हेत् वैध प्रमाण पत्र;
- (ग) संबंधित अधिकारी को भरे गए अन्तिम आय कर रिटर्न की प्रतियाँ
- (घ) मालिक/भागीदार/निदेशक के नाम, पत्राचार हेतु पता, टेलीफोन नम्बर, ईमेल इत्यादि के विवरण सहित फर्म/फर्मीं के विवरण (अन्लग्नक-2)
- (च) एक फर्म के मामले में, प्रत्येक पार्टनर या अटॉर्नी (मुख्तारनामा)धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा । बोली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रतियाँ बोली के साथ संलग्न की जाएगी । पावर ऑफ अटार्नी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी । प्राइवेट लि॰/पब्लिक लि॰ कंपनियों के मामले में पावर ऑफ अटार्नी के सहायक बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराये जाएंगे ।
- (छ) सभी पृष्ठ और चिपकाई गई स्लिपों पर बोलीदाता द्वारा नम्बर लगाए जाएं और हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कोई पृष्ठ बोली दस्तावेज़ के सेट से जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा । विधिवत हस्ताक्षर किए गए बोली दस्तावेज़ अपनी स्वीकृति की निशानी के रुप मे वापस किए जाएंगे ।
- (ज) पिछले दो (02) वर्षों में सदृश प्रकृति के किए गए कार्यो/सेवाओं को दर्शाने वाले विवरण (अनुलग्नक-3)
- (झ) 9) काली सूची और/या म्कदमों (अनुलग्नक 4) के बारे में एक घोषणा।

- ख) तिफाफा सं॰ 2 (वित्तीय बोली): इस लिफाफे में अनुसूची -5 के अनुसार विहित स्थानों पर भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों की दर सूची विधिवत भरे गए हों । इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण रूप से भरकर इसके प्रत्येक पृष्ठ और बोली के निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर किए जाएं। खंड 8 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए।
- ग) कवरिंग लिफाफा : दोनों लिफाफे 1 एवं 2 को एक साथ एक कॉमन मुहबंद लिफाफे में रखा जाएगा तथा इस पर अनुसूची-4 में दर्शाये अनुसार "वाहनों को भाड़े पर लेना " तथा बायीं ओर नीचे बोलीदाता का नाम और पता लिखा जाएगा।

13. बोलीदाता द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाय:

- (क) वित्तीय बोली उपयुक्त स्थानों(अनुसूची 5) पर शब्दों एवं अंकों, दोनों में लिखा जाना चाहिए (अनुसूची-5)
- (ख) बोलीदाता निविदा दस्तावेज में दी गई प्रत्येक एवं हरेक शर्त को पूर्ण करते हुए बोली प्रस्तुत करे, ऐसा न होने पर बोली को रद्ध कर दिया जाएगा । सशर्त बाकी बोलियों को रद्ध कर दिया जाएगा ।

14. बोली को खोलना

निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली को अनुसूची 4 (यदि संभव हो), में दर्शाए गए इस कार्यालय में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बोलीदाताओं के सामने या प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में खोला जाएगा जो बोली खोलने के दिन निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।

15 बोलीदाताओं का लघ्सूचीयन अर्थात् छँटाई

तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां सफल हुई हों।

- 16. वित्तीय बोली खोलना : ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा न॰2 खोलेगा तथा मूल्य तालिका(अनुसूची-5) में बोलीदाता द्वारा उदृत दरों को पढा जाएगा ।
- 17. वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन हेतु मानदंड

तकनीकी बोलियों में योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। बोलियों की मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, दरों की अनुसूची में बोलिदाताओं द्वारा उदृत की दरें दैनिक आधार पर अनुसूची 5 के अनुसार वाहनों के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा।

- 17.1 10 घंटों में 80 किमी॰ तक न्यूनतम दैनिक रूप से चलाना।
- 17.2 प्रतिदिन 250 किमी0 तक न्यूनतम आउटस्टेशन यात्रा , 250 किमी॰ से ऊपर 100 किमी॰ अतिरिक्त
- 17.4 कुल मिलाकर कार्यक्षेत्र हेतु कम से कम दर वाली पार्टी को निविदा दी जाएगी जिसे निम्नान्सार निर्धारित किया जाएगा -
- क) मिड सेगमेंट की सेडॉन कार को 80 % प्राथमिकता
- ख) हायर सेगमेंट वाली सेडॉन कारों को 10 % प्राथमिकता
- ग) पिक अप ट्रकों/ वैन को 10 % प्राथमिकता

18 बोली की स्वीकार्यता:

18.1 बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी । ब्यूरो न्यूनतम या किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताये, चाहे जो भी हो प्राप्त किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफलतम बोलीदाता को सूचित की जाएगी।

19. प्रक्रिया गोपनीय रखी जाए:

19.1 जब तक सफलतम बोलीदाता को संविदा देने की घोषणा न हो जाए तथा संविदा देने, मूल्यांकन तुलनात्मकता से संबंद जानकारी बोलीदाताओं या किसी भी व्यक्ति को, जो सरकारी तौर पर ऐसी प्रक्रिया से जुड़ा न हो, कुछ भी बताया नहीं जाएगा।

20. संविदा दस्तावेज का निष्पादन

20.1 निष्पादन प्रतिभूति को जमा करने के बाद सफलतम बोलीदाता के लिए समुचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न फार्म में डुप्लीकेट के करार निष्पादित करना अपेक्षित है। वर्तमान में सम्चित मूल्य रू॰ 100/- है। बोली की स्वीकार्यता तिथि से 30 दिनों के

भीतर करार पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिएा संविदा करार, संविदा की शर्ती (CoC) तथा संविदा की शर्ती मं(CoC) यथा विहित अन्य दस्तावेजों दवारा शासित होगा।

20.2 करार हेतु निष्पादन की तिथि पर यथा लागू स्टाम्प-इ्यूटी, वैधानिक एवं संवैधानिक प्रभारों का भुगतान करना सफलतम बोलीदाता के लिए जरूरी होगा।

21. ब्यूरो के अधिकार

21.1 ब्यूरो के पास इस बोली में रखने के लिए कार्यक्षेत्र को उपयुक्त रूप से बढ़ाने/कम करने का अधिकार सुरक्षित है। भामाब्यूरो एक से अधिक एजेंसी को संविदा देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संविदाकार प्राधिकृत मांगकर्ता अधिकारी द्वारा विहित स्थानों एवं समय पर वाहन उपलब्ध करायेगा।

21.2 निविदा दस्तावेज या संविदा की शर्तों में खंड़ों की किसी प्रकार की व्याख्या में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में ब्यूरो द्वारा खंड़ों की व्याख्या सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्य होगी।

22. संविदा के भाग बनाने की सूचना

22.1 निविदा सूचना एवं दिये गए निर्देश संविदा के भाग बनेंगे।

अनुसूची-2 संविदा की शर्ते

1. परिभाषाएं

क. इन शर्तो में संदर्भित 'अनुलग्नक' से निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंद्ध अनुलग्नक से अभिप्राय है।

2. संविदा हेत् पक्ष

- 2.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा जिसका ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ब्यूरो।
- 2.2 प्रस्ताव फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति संविदा से संबद्ध सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्मों को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा। यदि यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकार न हो तो ब्यूरो अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाये रख सकता है तथा फर्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेत् देय होती है।

3. कार्यकारिता प्रतिभूति

3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, ब्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु संविदा दिए गए सफलतम बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी। इसके पंजीकरण स्तर इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर, निष्पादन प्रतिभूति अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 'भारतीय मानक ब्यूरो' के पक्ष में 'चण्डीगढ़' में देय या अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फार्मेट के अनुसार बैंक गारंटी दी जाएगी।

4. संविदा दस्तावेज (जो संविदा का भाग होंगे)

- 4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न संविदा दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा तथा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाए। इस पर वह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करे तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेत् दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नान्सार है:
 - क) करार
 - ख) पूर्व बोली बैठक, स्पष्टीकरणों के कार्यवृत
 - ग) संविदा की शर्ते

- घ) निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज
- ङ) स्वीकार्यता पत्र
- च) संविदा के संबंध में पक्षों के बीच दिए गए अन्य पत्राचार
- छ) संविदाकार का प्रस्ताव

5. संविदा की वैधता

5.1 इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्षों की अविध के लिए संविदा होगी। तथापि, संविदा की तिमाही में समीक्षा की जाएगी तथा संविदा अविध के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमित की शर्त पर वार्षिक आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा।

6. विस्तृत कार्यक्षेत्र

क) उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का प्रकार

- 6.1 संविदा अविध में प्रत्येक श्रेणी का एक वाहन चालक सिहत ब्यूरो के लिए अलग से रखा जाएगा । भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या भावी अपेक्षा के आधार पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है तथा इस संबंध में अग्रिमतः संविदाकार को सूचित किया जाएगा।
- 6.2 संविदाकार के स्वामित्व वाले वाहनों की अनुपलब्धता के मामले में, संविदाकार भामाब्यूरो की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य द्वारा स्वामित्व वाले वाहन उपलब्ध करवाएगा।
- 6.3 अपग्रेडिड मॉडल या ऊँची श्रेणी की कारें (दो वर्षों से अधिक पुरान वाले मॉडल वाली नहीं) भी भामाब्यूरो की पूर्व अनुमित से शर्तो एवं निबंधनों पर इसी दरों पर उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 6.4 वाहन हेत् यातायात विभाग/प्राधिकारी से आवश्यक परमिट हो।
- 6.5 प्रदूषण नियंत्रण, सेल टैक्स एवं अन्य अनुपालनों सिहत सभी वैधानिक देयतायें संविदाकार द्वारा अनुपालित की जाएगी तथा भामाब्यूरो इस संबंध में उत्तरदायी नहीं होगी।
- 6.6 वाहन में वाहन चालक एवं यात्रियों का संविदा अविध के दौरान जोखिम कवर हेतु व्यापक इंश्योरेंस होगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में, इसके अपने सभी दावे संविदाकार द्वारा पूरे किए जाएंगे तथा भामाब्यूरो ऐसे दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6.7 वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी तथा एयर फ्रेशनर स्प्रे होगा।

ख) चालकों संबंधी अपेक्षाएं

- 6.8 वाहन के चालक की आवश्यक अपेक्षा निम्नान्सार है:
- क) चालक को चण्डीगढ़ ट्राईसिटी मार्गो की सही जानकारी हो तथा वैध चालक लाइसेंस हो।
- ख) चालक को मोबाइल फोन रखना होगा, जिसके लिए भामाब्यूरो द्वारा कोई अलग से भगतान नहीं किया जाएगा।
- ग) चालक इयूटी पर वर्दी में आने चाहिए।
- घ) चालक को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्यतः आराम दिया जाएगा। आराम के दिनों में यदि भामाब्यूरो की जरूरत पड़ी तो विकल्पी चालक उपलब्ध कराया जाएगा।
- ङ) चालक इस संबंध में कार का प्रयोग करने वाले संबंधित अधिकारी अथवा बी आई एस के निर्देशों का पालन करेगा।
- 6.9 ड्राइवरों की उपलब्धता एवं नियुक्ति एवं उन्हें मजदूरी इत्यादी विभिन्न श्रमिक कानूनों एवं नियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार दिए जाने के संविदाकार के प्रति पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
- 6.10संविदाकार 18 वर्षो एवं 45 वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा। प्रयोजन के लिए लगाए गए श्रमिक अपने क्षेत्र में पूर्व प्रशिक्षित एवं अन्भवी होंगे।
- 6.11 चालक को सामान्यतः जब तक प्रयोगकर्ता अधिकारी द्वारा अनुरोध न किया जाए या चालक साप्ताहिक अवकाश पर न हो, तो बदला नही जाएगा।
- 6.12 संविदाकार अपनी लागत पर चालकों को फोन उपलब्ध करायेगा।
- 6.13 पुलिस प्राधिकारियों से सत्यापित पूर्ववृत्त की सेटिंग के बाद संविदाकार अपने सभी कार्मिकों को परिचय/पहचान पत्र जारी करेगा और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। ब्यूरो के पास संविदाकार द्वारा तैनात कार्मिकों के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण करने का अधिकार है तथा यदि कार्य निष्पादन संतुष्टिपरक न हुआ तो उन्हें बदलने का आदेश देने का अधिकार भी है।
- 6.14 ब्यूरो के पास कारण सिहत किसी कार्मिक, जिसपर अवांछित या अन्यथा होने का विचार किया जाए तो उसको हटाने का अधिकार सुरक्षित है तथा इसी तरह संविदाकार के पास, आकस्मिकता छोड़कर, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी कार्मिक को हटाने का अधिकार नहीं है।

- 6.15 संविदाकार अपनी लागत पर अपने कार्मिकों को गर्मी एवं सर्दी की वर्दियों के न्यूनतम दो-दो सेट उपलब्ध कराएगा।
- 6.16 यदि चालक का निष्पादन एवं व्यवहार असंतुष्टिपरक/आपितजनक होता है, तो उसे बदलने का अधिकार ब्यूरो के पास है। संविदाकार को ऐसे अवसरों पर 24 घंटे के भीतर त्रंत उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना चाहिए।

ग) अन्य अपेक्षाएं

- 6.17 संविदाकार के पास न्यूनतम संभावित समय में अपनी कारों की मरम्मत कराने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। जब अपेक्षित हो, वे बहुत कम नोटिस पर अतिरिक्त वाहनों के विकल्प/ प्रतिस्थापन या प्रबंध की स्थिति में हो। यदि वाहन चालू हालत में नहीं पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रतिस्थापन हेतु लौटा दिया जाएगा। यदि समय पर प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं कराया गया तो भामाब्यूरो को मार्किट के वाहन को भाड़े पर लेने का अधिकार होगा और इस संबंध में खर्च की गई अतिरिक्त राशि संविदाकार से ली जाएगी।
- 6.18 संविदाकार भाई पर लिए गए वाहनों के लिए भा मा ब्यूरो द्वारा यथा अनुशंसित इयूटी पर्चियां रखेगा, इयूटी पर्चियों पर उपयोगकर्ता द्वारा हस्ताक्षर लिए जाए, यात्रा की शुरूआत एवं समाप्त रीडिंग दर्शाई जाएगी तथा यात्रा का प्रयोजन भी दर्शाया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इयूटी पर्ची में ओवर राइटिंग न हो। इयूटी पर्चियों की सामग्री में हेरफेर को बहुत गंभीरता से लिया जायेगा। किसी भी हालत में भुगतान हेतु हस्ताक्षर के बिना इयूटी पर्चियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि स्पष्ट रूप से यात्रा का प्रयोजन न दर्शाया गया होता तो, संविदाकार के विरूद्ध कुल बिल का 10% जुर्माना लिया जाएगा।

7. संविदाकार की देयतायें

- 7.1 भामाब्यूरो किसी चालान, हानि, नुकसान एवं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7.2 संविदाकार संविदा पर वाहन चलाने के लिए सभी वैधानिक अपेक्षाओं का पालन करेंगे तथा भामाब्यूरो करों, शुल्क, जुर्माने एवं चालकों के वेतन, रखरखाव का किसी भी प्रकार के भुगतान योग्य खर्ची के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

- 7.3 किसी भी कारण से किसी मामले में, यदि वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो वह वाहन न उपलब्ध कराने का दायित्व और उसकी जगह कोई ओर वाहन चलाने का दायित्व संविदाकार का होगा।
- 7.4 जब भी अपेक्षित होगा संविदाकार सीधे अपने टेलीफोन एवं मोबाईल फोन (कार्यालय एवं निवास दोनों) पर उपलब्ध रहेगा ताकि आपात स्थिति में टैक्सियों हेत् जबाव दे सके।
- 7.5 प्रत्येक वाहन पर (कार के अगले एवं पिछले वाले शीशे पर लगे)"भारतीय मानक ब्यूरो की इ्यूटी पर " वाले दो स्टीकर हों।
- 7.6 ब्यूरो किसी भी तरह से भी संवैधानिक दायित्वों (जैसे ईएसआई एवं ईपीएफ इत्यादि) की देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इनका भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा। संविदाकार समय-समय पर संबंध प्राधिकारियों को तैनात कार्मिकों के संबंध में जमा राशि के विवरण ब्यूरों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संविदाकार ब्यूरों को इनके प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- 7.7 भामाब्यूरो की सेवा में संविदाकार द्वारा नियुक्त कार्मिकों का दैनिक भता/वेतन अलग-अलग व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा। संविदाकार को इसका एक प्रमाण ब्यूरो में जमा करना होगा।
- 7.8 अपने कार्मिकों को समय-समय पर बोनस, छुट्टी, रिलीफ इत्यादि संवैधानिक लाभों के भ्गतान के विवरण ब्यूरो को संविदाकार प्रस्तुत करेगा।
- 7.9 संविदार इ्यूटी पर रहने वाले अपने कार्मिकों का व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु संबंधी बीमा कराएगा तथा इस संबंध में ब्यूरो की अपनी कोई देयता एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7.10 संविदाकार भामाब्यूरो में सेवाओं के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण करेगा।
- 7.11 संविदाकार के कार्मिक ब्यूरो के कार्मिक नहीं होंगे तथा वे इस संविदा के तहत अपने कार्मिकों के वेतन या भते, प्रतिपूर्ति, नुकसान या कुछ अन्य उत्पन्न स्थितियों के दावे नहीं करेंगे। संविदाकार इस करार के तहत तैनात किए जाने से पूर्व अपने कार्मिकों को इस बारे में अवगत करायेंगे।
- 7.12 संविदाकार अपने कार्मिकों को सभी संवैधानिक लाभ या अन्य लाभ भी उपलब्ध करायेगा तथा इस संबंध में जो भी हो, ब्यूरो किसी प्रकार देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संविदाकार

श्रमिक कानूनों, श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम, ईपीएफ कानून, इएसआईसी कानून, आयकर एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदाकार श्रम(विनियम, उन्मूलन अधिनियम) या लागू अन्य कानून का भी पालन करेगा।

- 7.13 संविदाकार दोनों पक्षों के बीच सहमत से लागू अपेक्षाओं को अनुसार सेवाओं का सही कार्य निष्पाजन स्निश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं अन्भवी पर्यवेक्षक उपलब्ध करायेगा।
- 7.14 सभी आवश्यक रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी यथा अपेक्षित तुरंत दी जाएगी तथा ब्यूरो के साथ नियमित बैठकें की जाएगी।

8. ब्यूरो के दायित्व, यदि कोई हैं तो

- 8.1 प्रतिदिन अधिकतम 20 किलो मीटर तक के डेड माइलेज का ही भ्गतान होगा।
- 8.2 प्रमाणिक रसीदों के प्रस्तुत करने पर चुंगी प्रभार एवं पार्किंग प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

9. भुगतान शर्ते

ईधन मूल्यों में बढ़ोतरी/कमी के मामले में मासिक/दैनिक आधार पर भुगतान निम्नानुसार उद्धृत दरों में समायोजन करके किया जाएगा:

= कुल मासिक बिल का 30% X <u>माह के पहले दिन को ईधन में बढ़ोतरी/कमी</u>

ईंधन की आधार दर (बोली की आखिरी तारीख को ईंधन की दर)

- 9.1 बिलिंग मासिक आधार पर किया जाएगा, अगले माह के पहले सप्ताह में इस कार्यालय के लिए सेवा से जुड़े बिल सफाई से टाईप किया जाना चाहिए तथा डुप्लीकेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बिलों तथा संविदा से उत्पन्न अन्य दावों के भुगतान सीधे संविदाकार के बैंक अकाउंट में नैफ्ट के माध्यम से किये जाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के शर्ताधीन भुगतान होंगे अर्थात् प्रस्तुत प्रत्येक बिल में कुल राशि से लागू दरों पर सेस/प्रभार सहित कर काटा जाएगा।
- 9.2 किसी भी राशि को रखने या छोड़ने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरिक्षत है, जो किसी दावें के तहत संविदाकार के कारण समय-समय पर हो सकता है, जो ब्यूरो के पास इसके तहत या अन्य किसी संविद/करार के तहत हो सकता है।

- 9.3 एजेंसी संविदा पर वाहन चलाने की सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करेंगी और भामाब्यूरो संविदा के लिए(ईधन के मूल्य में किसी परिवर्तन सिहत), पार्किंग प्रभार, टोल टैक्स यदि कोई है के अलावा टैक्स, शुल्क, पैनल्टी, ड्राइवरो को वेतन, रखरखाव, देय किसी अन्य प्रभार का दायित्व भामाब्यूरो पर किसी भी प्रकार से नहीं होगा।
- 9.4 राशि किसी दावे के अंतर्गत, जो ब्यरो को किसी अन्य संविदा/करार के अंतर्गत देनी हो, समय-समय पर संविदाकार को देय है ब्यूरो के पास किसी भी राशि को देने या न देने का अधिकार सुरक्षित है।

10. जुर्माना / दंड (अनुबंध के नियमों व शर्तों का पालन करने में असमर्थता)

- 10.1 यदि संविदाकार संविदा में विहित समयाविध के भीतर डिलीवरी देने से चूकता है या सेवाएं पूर्ण नहीं करता है, , ब्यूरो संविदा के तहत इसके अन्य उपचार पर ध्यान दिए बिना निम्नानुसार यथायोग्य राशि को संविदा के मूल्य से काटेगा ।
- 10.2 जुर्माने के सभी प्रकारों पर, भामाब्यूरो के निर्णय, फर्म के लिए अंतिम एवं बाध्य होंगे। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि के समकक्ष जुर्माना राशि के पहुंचने पर, ब्यूरो संविदा को समाप्त करने पर विचार सकता है।
- 10.3 यदि संविदाकार डिलीवरी क्रमानुसार तय वाहनों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराने में चूक करता है तो ब्यूरो संविदाकार के जोखिम लागत एवं जिम्मेदारी पर वैकल्पी स्रोत से या सदश वाहनों को भाड़े पर लेने का अधिकारी सुरक्षित रखता है।

11.क्षतिपूर्ति

11.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रोपर्टी जो भी हो के चोटिल होने या नुक्सान होने पर ब्यूरों के सभी नुक्सानों या दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरूप हो तथा संविदाओं, मांगों, प्रक्रियागत, नुक्सान, लागत, प्रभार एवं खर्च इस संबंध में जो भी हो, समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न श्रमिक कानूनों के उपबंधों के तहत इससे संबद्ध की क्षतिपूर्ति करेगा तथा करायेगा।

11.2 संविदाकार ब्यूरो के विरूद्ध दावों, नुकसानों, लागत नुकसान, खर्चीं, वाद कार्रवाई एवं अन्य प्रक्रिया किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघनों की क्षतिपूर्ति, स्रक्षा एवं बचाव करेगा।

12. संविदा का समापन/आस्थगन

- 12.1 ब्यूरो पर बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर संविदा का अस्थाई तौर पर किसी भी समय स्थिगत करने की स्थिगत होगी । संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दूर्व्यवहार हेतु इस संविदाकी किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी निर्णय हो, संविदाकार के लिए अंतिम होगा तथा संविदाकार का कोई हक नहीं होगा ।
- 12.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में जिसे परिणामत: संविदा के तहत व अपनी सेवाओं, देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इसे एक गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा ।
 - क) ब्यूरो की राय में संविदाकार ने संविदा को छोड़ दिया है।
 - ख) संविदा के अनुसार सेवा की आपूर्ति आरंभ करने के बिना किसी उपयुक्त सफाई देने में असफल रहता है अथवा पूर्ण करने के लिए दिए गए अनुबंधित समय के अंदर सेवा प्रदान करने में असफल रहता है।
 - ग) संविदा के अंतर्गत अपनी किसी बाध्यता का अनुपालन करने में ब्यूरो की पहले दी गई लिखित चेतावनी अथवा अन्यथा निरंतर अथवा सुस्पष्ट रूप से बताने के बाद भी लापरवाही बरतता है।
 - घ) निरीक्षण के दौरान सेवा की ग्णता में गंभीर विसंगति मिलती है।
 - ङ) यदि संविदाकार सेवा की आपूर्ति को नियंत्रण करने वाले किसी कानून अथवा संविधि का उल्लंघन करता है ।
 - च) ब्यूरो के निर्णय के अनुसार संविदाकार संविदा के अंतर्गत सेवा पूरी करने व सेवा देने में भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण रीति में संलिप्त पाया जाता है।
 - छ) संविदाकार स्वेच्छा या अनिच्छा से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।
 - ज) संविदाकार दिवालिया हो जाता है।

- झ) संविदाकार दिवालिया (इनसोल्वेंट) हो गया हो ।
- ज) इसकी परिसम्पत्तियों के महत्त्वपूर्ण हिस्से के लिए किसी प्राप्तकर्ता , प्रशासक, न्यासी अथवा परिसमापक को नियुक्त किया गया हो ।
- ट) संविदाकार अथवा इसकी परिसम्पत्तियों के संदर्भ में कोई ऐसा कार्य होता है अथवा घटना घटती है जिसका इन परिसम्पत्तियों पर किसी पूर्वोलिखित कार्य अथवा घटना के कारण किसी लागू कानून के अंतर्गत उल्लेखनीय रूप से असर हो ।
- ठ) ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना संविदाकार (कंसोर्टियम के मामले में) ने कंसोर्टियम के गठन अथवा प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी को संशोधित किया हो ।

13. ब्यूरो द्वारा समापन

13.1 बिना कारण बताये तथा हानी या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरों के लिए भी वैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है । ऐसे समापन के लिए ब्यूरों द्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा । संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरों के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा ।

14. समापन हेतु संविदाकार का अधिकार

- 14.1 यदि संविदाकार संविदा अविध की समाप्ति से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को न्यूनतम 60 दिनों की अग्रिम रूप में सूचना देनी पड़ेगी ।
- 14.2 यदि संविदाकार 60 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी ।

15. म्ख्य खंड लागू करना:

15.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्णरूपेण या अंशत निष्पादन को किसी लडाई, युद्धस्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबधी कार्यां, महामारियों, सार्वजनिक हुल्लडबाजी , तोड-फोड, आगजनी, बाढ, विस्फोट, संगरोधन, प्रतिबंधन, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है)

के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी बशर्ते ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देता है। कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति में न तो इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाए या बंद न हो, इसके बाद व्यावहारिक से संविदा शुरू नहीं की जाएगी तथा जब ब्यूरो के उप महानिदेशक पुन: संविदा को शुरू करने या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में उप महानिदेशक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

16. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

- 16.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एंव निष्पादन के दौरान नेतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरांन्नत, ब्यूरो निम्नानुसार शर्ते सेट करना परिभाषित करता है।
 - क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय हे भाड़े की प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना एंव
 - ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय हैं की ब्यरों को हिन पहुंचाने के लिए भाई की प्रकिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा क्रात्रिम तोर पर आपरिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदातौं (बोली प्रस्तुतीकरण से पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतिया शामिल हैं तथा ब्यरों को मुफ्त एंव खुली प्रतिसपर्धा के लाओं से वंचित करना शामिल है।

16.2 यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है की संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम की सिफ़ारिश की गई वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ऐसे संविदा के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा । यदि ब्यरो को यह ज्ञात होता है कि फर्म संविदा की प्रतिस्पर्धा के भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त हैं, तो उस फर्म को आनिश्चितकाल या एक समय सीमा हेतु आयोग्य समझा जाएगा ।

17. गोपनीयता

17.1 संविदाकार इस संविदा के तहत सेवाए देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यरों से लिखित में सहमति न ली जाये।

18. प्रचार प्रसार

18.1 जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को एसा केवल ब्यूरो से लिखित अनुमति लेने पर ही करना चाहिए ।

19. विवाद एंव विवाचक

- 19.1 ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनो पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हरसंभव प्रयास करेंगे ।
- 19.2 यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल नहीं किया जा सके तो उस मामले को ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जाएगा । भारतीय विवाचक एंव समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

20. नोटिस भेजने का तरीका

- 20.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा। नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) केवल डिलिवरी होने पर ही प्रभावी होगा।
- 20.2 सभी नोटिस ब्यूरों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

21 कानून

21.2 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी ।

22. कानूनी क्षेत्र

22.1 किसी भी संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही संविदाकार द्वारा केवल चण्डीगढ़ अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में की जाएगी ।

24.स्टाम्प इयूटी

24.1 संविदा करार से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टॉम्प इयूटी प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

अनुसूची 4 : निविदा दस्तावेज के विवरण

- दर संविदा की प्रस्तावित वैधता : तीन साल । तथापि, संविदा की तिमाही आधार पर समीक्षा होगी तथा फर्म के सेवा-संतुष्टि एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमित के शर्ताधीन प्रतिवर्ष इसे बढ़ाया जाएगा ।
- 2. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता :

स्थान: उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 - ए, सेक्टर 27 - बी, मध्यमार्ग, चण्डीगढ़ - 160019 एवं

भा मा ब्यूरो वेबसाईट: www.bis.org.in एवं www.eprocure.gov.in

अविध : 10 tuojh 2017 ls 31 tuojh 2017 (1500 बजे तक)

- 3. **प्री-बिड कॉफ्रेंस** : 25 tuojh 2017 (1500 बजे) को उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में ।
- 4 बोलियाँ के प्रस्तुतीकरण की पद्धति/तरीका: 'तकनीकी बोली' एवं 'वितीय बोली' लिखे दो लिफाफों वाले लिफाफा जिस पर "बी आई एस, चण्डीगढ़ में वाहन उपलब्ध करवाने के लिए निविदा" लिखकर लिफाफा जिस पर पक्ष का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उपनिदेशक (प्रशासन व वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 4 ए, सेक्टर 27- बी , चंडीगढ़ 160019 के कार्यालय में दिनांक 31 tuojh 2017 को 1500 बजे तक भिजवाएँ |
- 5 धरोहर राशि जमा: रु. 10,000/-
- 6 निष्पादन प्रतिभृति जमा: रूपए 30,000.00
- 7 **बोलियों की वैधता:** तकनीकी बोली को खोलने से 90 दिनों तक
- 8 बोलियां खोलना : तकनीकी बोलियां 31 tuojh 2017 (1530 बजे) को उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 ए, सेक्टर 27 बी, चण्डीगढ़ 160019 के कार्यालय में खोली जाएंगी। वित्तीय बोली को खोलने की तिथि बोली की तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही सुनिश्चित की जाएगी जिसे संबंधित बोलीदाता को सूचित कर दिया जाएगा।

9 इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी : उपनिदेशक (प्रशासन व वित्त) एवं अन्य कोई भी अधिकारी जिसे ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

अनुसूची - 5 मूल्य तालिका

٠ ـ ر	•						
सदभ	न						

सेवा में उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 4 -ए, सेक्टर 27-बी ,मध्यमार्ग चंडीगढ़ - 160019

- 1. सेवाओं के विवरण/संक्षिप्त विशिष्ट: अनुसूची-1 के अनुसार
- 2. दैनिक आधार/जरूरत आधारित दरें:

क्रमांक	विवरण	मूल्य (प्रति वाहन)
01	मध्यम सेग्मेंट की सेडॉन कारें: फोर्ड आईकोन/हयून्डई एसेन्टा/टाटा	
	इंडिगो/मारुति डिज़ायर या अन्य समकक्ष	
	40 किमी. तक दैनिक आधार, 5 घंटे (आधा दिन)	
	दैनिक आधार 80 किमी., 10 घंटे (पूरा दिन)	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	
	10 घंटे (प्रति घंटा) से अधिक अतिरिक्त समय हेतु प्रभार	
	रात में रोकना का प्रभार, स्थानीय (यदि कोई हो)	
	आउट स्टेशन यात्रा	
	250 किमी. प्रतिदिन हेतु प्रभार	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	
	रात में रोकने के प्रभार	
02	ऊंचे सेग्मेंट की सेडॉन कारें : (SX4/होंडा सिटी /इनोवा)	
	40 किमी. तक दैनिक आधार, 5 घंटे (आधा दिन)	
	दैनिक आधार 80 किमी., 10 घंटे (पूरा दिन)	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	
	10 घंटे (प्रति घंटा) से अधिक अतिरिक्त समय हेतु प्रभार	
	रात में रोकना का प्रभार, स्थानीय (यदि कोई हो)	
	आउट स्टेशन यात्रा	
	250 किमी. प्रतिदिन हेतु प्रभार	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	

	रात में रोकने के प्रभार	
03	पिक अप वैन	
	40 किमी. तक दैनिक आधार, 5 घंटे (आधा दिन)	
	दैनिक आधार 80 किमी., 10 घंटे (पूरा दिन)	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	
	10 घंटे (प्रति घंटा) से अधिक अतिरिक्त समय हेतु प्रभार	
	रात में रोकना का प्रभार, स्थानीय (यदि कोई हो)	
	आउट स्टेशन यात्रा	
	250 किमी. प्रतिदिन हेतु प्रभार	
	वाहन हेतु अतिरिक्त किलोमीटर (प्रति किमी.) हेतु प्रभार	
	रात में रोकने के प्रभार	

मैं/हम यह बचन पत्र देते हैं की मैंने/हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है तथा वाहनों की आपूर्ती हेतु सभी शर्तों एवं निबंधनों को समझ लिया है एवं इन शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

फर्म/कम्पनी का नाम एवं हस्ताक्षर

फार्म/कम्पनी की मुहर

तिथि :

स्थान :

अनुसूची 6: संविदा फार्म

करार

यह करार	के दिन	(माह) 2	.016 को वि	नया गया है,	यह
मैसर्स					
(संविदाकार का नाम एवं प	पता) (जिसे आगे आग	ो इसमें संविदा	कार कहा ग	ाया है) जब	तक
प्रसंगतगत या इसके अर्थ वि	रिद्ध न हो, इसमें जि	मकी अभिव्यक्ति	न का अर्थ स	मझा जाएगा त	नथा
उसके उतराधिकारी एवं सुप्	र्विकार शामिल होंगे,	एक पक्ष तथा	भारतीय मा	नक ब्यूरो, उत	त्तर
क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं0	4 ए, सेक्टर 27- बी	, चंडीगढ़ - 160	0019 (जिसे	आगे इसमें ब	यूरो
कहा गया है, जिसकी अभि	व्यक्ति का अभिप्राय	समझा जाएगा,	जब तक प्र	संगगत या उ	सके
अभिप्राय विरुद्ध न हों, इस	में उताराधिकारी एवं सु	दूर्पकार शामिल	होंगे), दूसरे	पक्ष के बीच क	ज्रार
हुआ					
जबिक सेवा प्रदाता प्राधिकृत	न संविदाकार है एवं	ब्यूरो निगमित	निकाय है,	जो सांसद द्व	वारा
अधिनिगमित है ब्यूरो	दर संविदा ३	आधार पर सफाई	ई एवं हाऊस	क्रीपिंग सेवाएं	लेने
का इच्छुक है । अतः खुले	या विज्ञाप्ति/लिमिटेड/ए	!क निविदा पृष्ट	ऽ दिनांकित_		के
माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित	की गई है				
जबिक संविदाकार (सफल ब	बोलीदाता) ने अपनी ब	ोली प्रस्तुति की	ा, बोली दस्त	तावेज़ के अनु	सार
देखें तथ	ा बोली की प्रक्रिया के	अनुपालन से 'र	यथा सफलत	म बोलीदाता' च्	वुना
गया तथा संविदा मूल्यों पर	बातचीत कर, दिनांक		को संविदाव	गर को स्वीकार	र्यता
पत्र (LOA) संख्या	दिया गया	1			
नीचे दर्शाये अनुसार शत	र्गें एवं निबंधनों के अ	नुपालन हेत् दो	नों पक्ष इस	पर सहमत	हए:
निविदा दस्तावेज की 'अ			·		3
	3 %	,			
(संविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिर्ग	धे	(ब्यूरो के प्रा	धिकृत के		

के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर अधिकारी
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
पता	पता
फ़र्म/कंपनी की मुहर	ब्यूरो की मुहर
साक्षी:	साक्षी:
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी का नाम	साक्षी का नाम
पता	पता

अनुसूची-7 : क्रेयता एवं बोलीदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले यदि कोई है तो अन्य मानक प्रपत्र

1.	अनुलग्नक-1	बैंक प्रतिभूति बाण्ड के प्रपत्र
2.	अनुलग्नक-2	बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण
3.	अनुलग्नक-3	पिछले 3 वर्षों में बोलीदाता द्वारा उपलब्ध
		कराये गए वाहनों के सद्र्श प्रकारों के विवरण
4.	अनुलग्नक-4	काली सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में
		घोषणाएँ

अनुलग्न-2

बोलीदाताओं द्वारा भेजे गए विवरण

1	फार्म/	कम्पनी	का	ਗ਼ਸ਼-
	91107/	47 6 -4011	471	்பான.

- 2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी:
- 3. पंजीकरण का मूल्य:
- 4. पत्राचार का पता:
- 5. दूरभाष संख्या:
- 6. ईमेल:
- 7. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण:

नाम	पता	अर्हता एवं अनुभव

8. सदृश प्रकृति के कार्य/जाब हेतु पिछले दो वर्षों के वितीय वर्षों में फार्म/कम्पनी का वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जायें):

वितीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रु.)	लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रतियाँ संलग्न (हाँ/नहीं)
2013-14		
2014-15		
2015-16		

9. फार्म/कम्पनी का पैन, टिन नम्बर:

10.सेवाकर पंजीकरण सं.:

11.धरोहर राशि जमा ड्राफ्ट की संख्या/बैंक का नाम/तिथि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वाश के अनुसार पूर्ण एवं सही है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निविदा सूचना की शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है ।

मैं/हम वचनबद्ध हैं कि मैं/हम निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मेरी/हमारी बिना शर्त एवं स्वीकार्यता देता हूँ/देते हैं तथा इन शर्तों एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हूँ/हैं ।

> फार्म/कम्पनी का नाम एवं हस्ताक्षर फार्म/कम्पनी की मुहर

तिथि:

स्थान:

अनुलग्नक -3

पिछले तीन (03) वितीय वर्षों में सद्र्श प्रकृति के लिए गए कार्यों/सेवाओं के विवरण

बोलीदाता का नाम:

वर्ष	आपूर्ती वाहनों के मॉडल एवं मेक	उपभोक्ता के	संविदा का	टिप्पणियाँ
	एवं मेक	नाम एवं पता	मूल्य	

टिप्पणी : फार्म के सीए द्वारा कारोबार की रकम को प्रमाणित एवं लेखा परीक्षित किया जाना चाहिए तथा अलग शीट संलग्न की जाए ।

अनुलग्नक-4

काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मैं/हम एतद्दवारा घोषणा करते हैं कि हमारी फार्म/एजेंसी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है । मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फार्म/कम्पनी या इसके स्वामी/ भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है ।

दिनांकमाह	2017
	बोलीदाता के हस्ताक्षर
	बोलीदाता का नाम एवं पता
	फर्म/कम्पनी की मुहर

PLOT NO.4-A, SECTOR 27-B, CHANDIGARH – 160 019

TENDER NOTICE

No. NRO/Admn/3/2015 09 January 2017

Sealed Tenders are invited in a two-bid system from reputed Tours and Travel Agencies/Companies located in & around Chandigarh, for hiring of taxis on daily basis for official use of Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh.

The Tender document can be downloaded from www.bis.org.in and www.bis.or

Dy. Director (Admn & Finance)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS PLOT NO.4-A, SECTOR 27-B, CHANDIGARH – 160 019

SCHEDULE: 1

TENDER NOTICE: HIRING OF VEHICLES ON DAILY BASIS

Bureau of Indian Standards invites <u>sealed bids</u> under two bid system (Technical bid and Financial bid) for providing vehicles to its office located at Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh - 160019 on **monthly as well as daily** basis, from eligible bidders as per the details given below:.

SI. No.	Type of Vehicle (Make)
1.	Sedan cars of medium segment : Ford Icon/Hyndai Accent/Tata Indigo/Maruti Desire or other equivalent
2.	SX4/Honda City/Innova
3.	Pick-up vans for transportation of samples

1. Eligibility:

- a) The Bidder should be able to provide more than 4 number of vehicles (as & when required) of a model not later than four years old and vehicle should not have covered more than 65000 Kms.
- b) should have minimum **three years** of experience of providing passenger vehicles to the large private sector firms, Departments/Ministries of the Government of India/PSUs/Large corporates (copies of orders received from Govt. deptts./PSUs/Large Corporates during each of the last three years should be enclosed).
- c) have travel and transport as its nature of business (certificate to this effect, if available).
- d) have Service Tax Registration No. and authority with whom registered.
- e) not have been blacklisted by the Deptts/Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format) (Annexure-4).
- **2. Proposed validity of the rate contract:** Three Years. However, the contract will be reviewed on annual basis and extended every year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.

3. Availability of Tender Documents:

Place: Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh – 160019 and BIS website: www.bis.org.in & www.eprocure.gov.in.

Period: 10 January 2017 to 31 January 2017 (upto 1500 hrs.)

- **4. Pre-bid Conference:** 1500 h on 25 January 2017 in the office of Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg Chandigarh 160019.
- **5. Submission of Bid:** Upto 1500 h on 31 January 2017 in the office of Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg Chandigarh 160019.
- **6. Opening of Bids:** Technical Bids shall be opened at **1530 h on 31 January 2017** in the office of the Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg Chandigarh 160019. Date of opening of financial bid shall be decided after technical evaluation of the bid.
- **7. Method/Manner for Submission of Bids:** An envelope super-scribing **"Tender for Supply of vehicles at BIS, Chandigarh"** having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Madhya Marg Chandigarh 160019".
- **8. Earnest Money Deposit:** Rs. 10,000.00
- 9. Performance Security Deposit: Rs.30,000.00.
- **10. Validity of Bids:** 90 days from opening of technical bid.
- **11.** The Bureau reserves the right to reject any or all of the bids without assigning any reason.

Dy. Director (Admn & Finance)

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 2: Instruction to Bidders

1 Notice inviting Bids:

1.1 Sealed Bids, *under two bid system (Technical bid and Financial bid)*, are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Bidders for Hiring of vehicles on daily basis as specified in the **Schedule-1** of Tender document.

2 Issue of Tender Document:

- 2.1 The blank Tender document will be available during the period indicated in the **Schedule-4**, during the office hours.
- 2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau (www.bis.org.in) & www.eprocure.gov.in.
- 2.3 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.4 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.5 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

3. Language of bid/Contract:

3.1 The language of the bid should be in English/Hindi and all correspondence, etc. should conform to English/Hindi language.

4. Pre-bid Conference:

4.1 A pre-bid conference of all intending bidders will be held at the scheduled date and time indicated in **Schedule-4**. Intended Bidders will be allowed to seek clarification, if any.

5. Validity of Bids:

5.1 The Bids will be valid for a period of 90 days from the date of its opening.

6. Earnest Money/Bid Security:

- 6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in **Schedule-4**, as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1**.
- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the bid and the Bureau shall exclude from its consideration any such disqualified Bid(s).
- 6.3 Bidder shall not revoke his bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it, shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the bidder shall be ineligible to submit the bid to the Bureau for supply of vehicles on contract basis during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the performance security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, its Earnest Money Deposit will be forfeited by the Bureau.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful bidder (s) shall be refunded after the successful bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of bids, whichever is earlier.

7. Eligible Bidders

- a) Should be able to provide more than 4 number of vehicles (as & when required), of a model not later than four years old and vehicle should not have covered more than 65000 Kms.
- b) have minimum **three years** of experience of providing vehicles to the large private sector firms, Departments/Ministries of the Government of India/State Govt./PSUs/Large corporates (copies of orders received from Govt. deptts./State Govt./PSUs/Large Corporates during each of the last three years should be enclosed).
- c) have travel and transport as its nature of business (certificate to this effect, if available).
- d) have Service Tax Registration No. and authority with whom registered.
- e) not have been blacklisted by the Deptts/Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format) (Annexure-4).

8. Rates how to be quoted:

8.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the scope of work and/other conditions and arrive at the amount to be quoted. The bidder shall be deemed to have satisfied itself before bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules, which rates and prices shall,

except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.

8.2 The Financial Bid shall be exclusive of any service tax, education cess and secondary and higher education cess or any other applicable taxes. The taxes as may be levied by the Government from time to time shall be charged by the contractor in addition to the rates quoted in the bid by the contractor or the same shall be paid directly by BIS to the concerned authorities, as per Rules.

9. Manner of Submission of Bid

- **9.1** The complete Bid will be received as indicated in the **Schedule-4**, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.
- **9.2** E-mail or fax offers will be rejected.

10. Last Date of Submission:

- 10.1 Sealed Bids shall be received at the address specified (Annexure-4) not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time for receipt of bids shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 10.2 In the event that the specified date for the submission of bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day

11. Modification and Withdrawal of Offer

11.1 Tenderer(s) shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and conditions thereof. In case the tenderer(s) fails to observe and comply with the stipulations made herein or backs out after quoting the rates, the aforesaid EMD will be forfeited by the BIS.

12. Contents of Bid Document:

- 12.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing "Hiring of Vehicles" as mentioned in the **Schedule-4**.
- 12.2 The envelopes shall contain the following:
- a) Envelope No.1 (Technical Bid): This should contain all technical details alongwith commercial terms and conditions such as:
- (a) List of all the documents enclosed:

- (b) The EMD as indicated in clause 6.1 above or valid certificate of exemption issued by the concerned Ministry or Department;
- (c) Copies of Income Tax Returns filed with the concerned authorities;
- (d) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (**Annexure-2**);
- (f) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided;
- (g) All pages and pasted slips should be signed by the bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance;
- (h) A statement showing the magnitude of Work/Service done of similar nature in the last two years (**Annexure-3**);
- (i) A declaration regarding black-listing and/or litigations (**Annexure-4**)
- **b)** Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall only contain price schedule for the vehicles to be hired at specified places as per **Schedule-5**, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places in the bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.
- c) Covering Envelope: Both the envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing 'Hiring of vehicles' as mentioned in **Schedule-4** and the name and address of the Bidder at the bottom left.

13. Other Important Points to be noted by the Bidder

- (a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (Schedule-5).
- (b) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid in Tender document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. **Conditional Bids will be rejected**.
- **14. Opening of bid:** The bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified program in the office as mentioned in the **Schedule-4** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time

15. Short-listing of bidders:- The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

16. Opening of Financial bid:

The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (**Schedule-5**) shall then be read out.

17. Criteria for evaluation of financial bids

The financial bids of only those bidders, who qualify in technical bids, will be opened. For the purpose of evaluation of bids, the rates quoted by the bidders in the schedule of rates, following shall be considered for vehicles as per Schedule 5 on daily basis:-

- 17.1 Minimum for daily running upto 80kms for 10 hrs.
- 17.2 Minimum for outstation journey upto 250 kms. for 24 hours. and 100 Kms. extra beyond 250 kms.
- 17.3 The tender shall be awarded to lowest party for the total scope of work in totality, which will be counted as follows:
 - a) 80% weight-age to Sedan cars of Mid Segment
 - b) 10% weight-age to Sedan cars of Higher Segment.
 - c) 10% weight-age to Pick-up vans

18. Acceptance of bid:

18.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

19. Process to be confidential

19.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

20. Execution of contract document

20.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security is required to

execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value. The proper value at present is Rs. 100.00. The Agreement should be signed within 30 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.

20.2 It shall be incumbent on the successful bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the agreement, as applicable on the date of the execution.

21. Rights of the Bureau

- 21.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid. BIS reserves the right to award contract to more than one agency. The contractor will provide the vehicles at the places and time specified by the authorized demanding officer.
- 21.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in tender document or the conditions of the contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

22. Notice to form Part of Contract

23.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE – 3 Conditions of Contract

1 Definitions:

a. 'Annexure' referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.

2. Parties to the contract

- 2.1 The parties to the contract shall be the contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.
- 2.2 The person signing the offer or any other document forming the part of contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance security

3.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, for an amount as indicated in Schedule-4, will be obtained from the successful bidder awarded the contract, irrespective of its registration status, etc. Performance Security will be furnished in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'Chandigarh' or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1**.

4. Contract documents (which shall form part of the contract)

- 4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
- a) The Agreement
- b) Minutes of pre-bid meetings, clarifications
- c) The Conditions of Contract
- d) Tender Notice and Tender Document
- e) Letter of Acceptance.
- f) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- g) The Contractor's Offer

5. Validity of the contract

5.1 The contract shall be valid for a period of three years from the date of signing this Contract. However, the contract will be reviewed on annual basis and extended on yearly basis subject to satisfactory performance during the contract period and mutual consent of both the parties.

6. Detailed scope of the work

a) Type of vehicles to be provided

- 6.1 One number of each category with drivers, be earmarked for the Bureau during the currency of the contract. The number of vehicles to be hired may increase or decrease in future depending upon the requirement and that will be intimated to the contractor well in advance.
- 6.2 In case of non-availability of the vehicles owned by the contractor, the contractor shall provide vehicles owned by others conforming to BIS requirements.
- 6.3 Upgraded models or higher category cars (of models not older than two years) may also be provided at the same rates, terms and conditions with prior permission of BIS.
- 6.4 The vehicle shall have necessary permits from the transport Dept. /Authority.
- 6.5 All legal obligations which include pollution control, road tax & other compliances shall be complied by the contractor & BIS shall not be liable in this regard.
- 6.6 The vehicle shall have the comprehensive insurance of vehicle, driver and passengers to cover the risk during the contract period. In case of any accident, all the claims arising out of it shall be met by the contractor and BIS shall not be liable for any such claim.
- 6.7 There shall be a first aid box and air freshener spray in the vehicle.

b) Requirement with respect to Drivers

- 6.8 The essential requirement of the driver of the vehicle shall be as follows:
- a) The driver shall be well conversant about Chandigarh-Tricity routes and have a valid driving licence.
- b) The driver must carry the mobile phone with him for which, no separate payment shall be made by the BIS.
- c) The driver(s) should come on duty in uniform.
- d) One day compulsory rest in a week shall be given to the driver. In the days of rest, if required by BIS, alternate driver will be provided.
- e) The driver shall obey the instructions of the concerned officer using the car

and/or BIS in this regard.

- 6.9 The engagement and employment of drivers and payment of wages etc. to them as per existing provisions of various labour laws and regulations shall be the sole responsibility of the contractor.
- 6.10 The Contractor shall not deploy any person below the age of 18 years old and more than 45 years old. Manpower engaged for the purpose shall be pre-trained and experienced in requisite field.
- 6.11 The driver shall not be normally changed unless requested by the using officer or due to weekly rest to the driver.
- 6.12 The contractor shall provide mobile phone to the drivers at his own cost.
- 6.13 The Contractor after setting antecedents verified from police authorities shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same. The Bureau has the right to inspect the performance of the personnel deployed by the contractor and order for replacing them if the performance is not satisfactory.
- 6.14 The Bureau shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable or otherwise and similarly the Contractor has no right to remove any personnel without prior approval of the Bureau, emergencies, exempted.
- 6.15 The Contractor shall provide minimum of two sets each of summer and winter uniform to its personnel at its own cost.
- 6.16 Bureau has a right to change the driver, if his performance and behaviour is unsatisfactory/objectionable. The contractor should provide immediate suitable replacement within 24 hours in such an occasion.

c) Other requirements

- 6.17 The Contractor shall have enough resources to repair their cars in minimum possible time. When required, they shall be in a position to substitute/replace or arrange extra vehicle at very short notices. In case the vehicle is found not to be in working condition, it shall be returned for immediate replacement. In case no replacement is provided on time, BIS shall have a right to hire a vehicle from the market and the additional cost incurred in this regard will be borne by the Contractor.
- 6.18 The contractor shall maintain the duty slips as recommended by BIS, for the vehicles hired. The duty slips will be signed by the user, which would indicate the opening and the closing meter reading with time and date at the point of starting/ending the journey and purpose of the journey by the user. It should ensured that there is no

overwriting in the duty slips. Tampering with the contents of the duty slips would be viewed very seriously. In no case, duty slip without signature will be accepted for payment. Further, a penalty of 10% of the total bill will be levied against the contractor if the purpose of the journey is not clearly mentioned.

7. Obligations of the Contractor

- **7.1** BIS shall not be liable for any Challan, loss, damage and contravention and violation of Motor Vehicles Act.
- **7.2** The contractor shall abide by all statutory requirements for running the vehicle on contract and BIS will in no way be liable towards taxes, fee, penalties and salary for drivers, maintenance or any other charges payable.
- **7.3** In case for any reason, the commercial vehicle is not provided, the liability of not providing such vehicle and running any other vehicle vests with the contractor only.
- **7.4** The contractor shall be available as and when required on his own direct telephone & mobile No. (office as well as residence) so as to respond to the call for taxies in emergent cases.
- **7.5** Each vehicle shall have two stickers (pasted on the rear and back side of the car) 'On duty of Bureau of Indian Standards'.
- **7.6** The Bureau shall not in any manner be liable and all statutory liabilities (such as ESI & EPF etc.) as shall be paid by the contractor. The Contractor shall submit to Bureau the details of amount deposited on account of EPF and ESI in respect of the deployed personnel to the concerned authorities from time to time.
- **7.7** The wages/salary of the personnel deployed by the contractor for services in BIS shall be made credited directly in the Bank Account of the individual by the Contractor. The contractor shall submit a proof of the same to the Bureau.
- **7.8** The Contractor shall produce to the Bureau the details of payment of statutory benefits like bonus, leave, relief etc. from time to time to its personnel.
- **7.9** The contractor shall cover its personnel for personal accident and death whilst performing the duty and the Bureau shall own no liability and obligation in this regard.
- **7.10** The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of services in BIS.
- **7.11** The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the Bureau and they shall not claim and salary or allowances, compensation, damages or anything arising

out their deployment/duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.

- **7.12** The Contractor shall also provide all benefits statutory or otherwise to its personnel and the Bureau shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contractor Labour (Regulations Abolition Act) or any other law in force.
- **7.13** The Contractor shall provide adequately trained and experienced supervisor to ensure correct performance of the services in accordance with the prevailing requirements agreed upon between the two parties.
- **7.14** All necessary reports and other information shall be supplied immediately as required and regular meetings will be held with the Bureau.

8. Obligation of the Bureau, if any

- **8.1** Dead Mileage of up to a maximum of 20 Kms. per day only will be payable.
- **8.2** Toll Charges and parking charges shall be paid as per actual on production of authenticated receipts.

9. Payment Terms:

In case of increase/decrease in fuel prices monthly/daily basis payment shall be made after making adjustments in the quoted rates as under:-

= 30% of the total monthly bill × <u>Increase/decrease in fuel as on 1st day of the month</u>

Base rate of fuel (Rate of fuel on the last date of submission of bid)

- **9.1** The billing will be done on monthly basis; Bill should be neatly typed and submitted in duplicate, in connection with the service to this office in the 1st week of the following month. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made through NEFT directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- **9.2** The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.
- **9.3** The agency should abide by all statutory requirements for running the vehicle on contract and BIS will in no way be liable towards taxes, fee, penalties, and salary to drivers, maintenance or any other charges payable except the contract price (including variation in fuel price), parking charges and toll tax, if any.

9.4 Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.

10. Imposition of fines/penalty (failure to comply with terms & condition of Contract)

- **10.1** If the Contractor fails to deliver or does not perform the Services within the time period specified in the Contract, the Bureau shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct reasonable amount, as deemed fit, from the Contract price, as liquidated damages.
- **10.2** The decision of BIS, on all types of penalties, shall be final and binding on the firm. Once the penalty amount is reached equivalent to the amount of Performance Security, the Bureau may consider termination of the Contract.
- **10.3** In case the Contractor fails to provide the requisite quantity of vehicles as stipulated in the delivery schedule, the Bureau reserves the right to hire the same or similar vehicles from alternate sources at the risk, cost and responsibility of the Contractor.

11. Indemnity

- **11.1** The contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
- **11.2** The contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights etc. or such other statutory infringements.

12. Termination / Suspension of Contract

12.1 The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on change or compensation by reason thereof. giving 24 hours notice in writing the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any

- **12.2** An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfil its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse has failed to commence supply of Services in accordance with this Contract, or failed to provide Services within the time stipulated for completion;
- (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) Serious discrepancy in the quality of the services is noticed during the inspection.
- (e) If the Contractor is in breach of any law or statute governing the supply of Services;
- (f) The Contractor, in the judgement of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (g) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (h) The Contractor becomes insolvent;
- (i) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (j) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events:
- (k) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

13. Termination by the Bureau

13.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days' notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

14. Contractor's right to terminate

- **14.1** If the Contractor decides to terminate the contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days.
- **14.2** If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire security deposit will be forfeited.

15. Force Majeure Clause:

15.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or

delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Dy. Director General (North) of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive

16. Corrupt or Fraudulent Practices

- **16.1** The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts.. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the hiring process or in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a hiring process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- **16.2.** The Bureau shall reject a proposal for award, if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the Contract in question; The Bureau shall deem a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract if it at anytime determines that the firm has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract.

17. Confidentiality

17.1 The contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while delivering services under this contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

18. Publicity

18.1 Any publicity by the contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

19. Disputes & Arbitration

- **19.1** The Bureau and the contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.
- **19.2** If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Competent Authority of the Bureau. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

20. Mode of serving Notice

- **20.1** Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- **20.2** All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau.

21. Law

21.1 The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

22. Legal Jurisdiction

22.1 Any suit or other proceedings relating to performance or breach of contract shall be filed or taken by the contractor in any Court of law having jurisdiction within Chandigarh only.

22. Stamp Duty

22.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty charges in respect of the Contract agreement.

SCHEDULE - 4: DETAILS OF TENDER DOCUMENT

- 1. Proposed validity of the rate contract: Three Years. However, the contract will be reviewed on quarterly basis and extended every year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.
- 2. Availability of Tender Documents:

Place: Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A,

Sector 27-B, Madhya Marg Chandigarh – 160019 and

BIS website: www.bis.org.in & www.eprocure.gov.in

Period: 10 January 2017 to 31 January 2017 (upto 1500 hrs)

- **3. Pre-bid Conference:** 1500 h on 25 January 2017 in the office of Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh 160019.
- 4. Method/Manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing "Tender for Supply of vehicles at BIS, Chandigarh" having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh 160019", The bid shall reach in the office of the Dy. Director (Admn & Finance), Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh 160019 by 1500 h on 31 January 2017.
- 5. Earnest Money Deposit: Rs. 10,000/-
- **6. Performance Security Deposit:** Rs.30,000.00.
- 7. Validity of Bids: 90 days from opening of technical bid.
- **8. Opening of Bids:** Technical Bids shall be opened at 1530 h on 19 December 2016 in the office of Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh 160019. Date of opening of financial bid shall be decided only after technical evaluation of the bid is qualified, which shall be intimated to the concerned firms.
- 9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract: Dy. Director (Admn & Finance)/and any other Officer authorised by the Competent Authority of the Bureau.

SCHEDULE - 5: PRICE SCHEDULE

To,
The Dy. Director (Admn & Finance),

Ref. No.

Bureau of Indian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh – 160019

i) Description/Brief Specification of the services : As per Schedule-1

ii) Daily Basis/Need Based Rates:

SI. No.	Particulars	Price		
01	Sedan Car of Mid Segment: Ford Icon/Hyundai Accent/Tata			
	Indigo/Maruti Desire or other equivalent			
	Daily basis upto 40 Kms., 5 hours (Half Day)			
	Daily basis upto 80 Kms., 10 hours (Full Day)			
	Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Charges for extra time beyond 10 Hrs. (Per Hour)			
	Night stay charges (local, if any)			
	OUTSTATION JOURNEY:			
	Charges for 250 Kms for one day			
	Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Night Stay Charges			
02	Sedan Car of Higher Segment = SX4/Honda City/Innova			
	Daily basis upto 40 Kms., 5 hours (Half Day)			
	Daily basis upto 80 Kms., 10 hours (Full Day)			
	Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Charges for extra time beyond 10 Hrs. (Per Hour)			
	Night stay charges OUTSTATION JOURNEY: Charges for 250 Kms for one day Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Night Stay Charges			
03	Pick-up vans			
	Daily basis upto 40 Kms., 5 hours (Half Day)			
	Daily basis upto 80 Kms., 10 hours (Full Day)			
	Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Charges for extra time beyond 10 Hrs. (Per Hour)			
	Night stay charges			
	OUTSTATION JOURNEY :			
	Charges for 250 Kms for one day			
	Charges for Extra Kilometer/(per Km) for Vehicle			
	Night Stay Charges			

I/We give an undertaking that I/we have read the Bid document and understood all terms and conditions for the supply of the vehicles and agree to abide by these terms and conditions.

Date:	Name and Signature of the Firm/Company
Place:	Seal of the Firm/Com

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM

AGREEMENT

(Signature of Contractor/ Authorized Representative) Name Designation Address Seal of the Firm/Company Witness: (Signature) Name of Witness Address	Name
Authorized Representative) Name Designation Address Seal of the Firm/Company Witness:	Name Designation Address Seal of the Bureau Witness:
Authorized Representative) Name Designation Address Seal of the Firm/Company	Name Designation Address Seal of the Bureau
Authorized Representative) Name Designation Address	Name Designation Address
Authorized Representative) Name Designation	Name Designation
Authorized Representative) Name Designation	Name Designation
Authorized Representative)	,
` •	(Signature of Authorized Officer of the Bureau)
	(Signature of Authorized Officer of the Bureau)
	agree to abide the terms and conditions as mentioned Contract) of Tender Document".
accordance with the bid documer	cessful bidder) submitted his bid vide in the interior and was selected as 'successful bidder' pursuant to tiation on contract prices, awarded the 'Letter or he Contractor on
	a body corporate, enacted by Parliament. The Bureau contract basis, therefore, invited bids through <i>Open of the enquiry</i> dated
WHEREAS the Contractor is a tra	insporter (Details of business)
repugnant to the context or me successors and assigns) of the O	dian Standards, Plot No.4-A, Sector 27-B, Chandigarh as the BUREAU, which expression shall, unless it be caning thereof, be deemed to mean and include its THER PART.
as the CONTRACTOR, which exp meaning thereof, be deemed to a ONE PART and the Bureau of In-	nd Address of the Contractor) (hereinafter referred to pression shall, unless it be repugnant to the context of mean and include its successors and assigns) of the

SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE PURCHASER AND THE BIDDERS.

1.	Annexure-1	FORM OF BANK GUARANTEE BOND
2.	Annexure-2	DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS
3.	Annexure-3	DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF VEHICLES PROVIDED BY THE BIDDER DURING LAST 3 YEARS
4.	Annexure-4	DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS

Annexure -1

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

ards (hereinafter called 'The BUREAU')
(hereinafter
d under the terms and conditions of an
made between
for
ereinafter called "the said Agreement of
said Contractor (s) of the terms and
production of a Bank Guarantee for Rs.
Only) we,
(hereinafter referred to as
ofe Bureau an amount not exceeding Rs. y loss or demand caused to or suffered
au by reason of any breach by the said contained in the said Agreement.
do hereby
able under this guarantee without any u of Indian Standards stating that the tige caused to or would be caused to or by the said Contractor (s) of any of the ment or by reasons of the Contractor (s) ch demand made on the bank shall be rable by the Bank under this guarantee. shall be restricted to an amount not

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We,	_ further agree that the Guarantee
(indicate the name of Bank)	
taken for the performance of the said and enforceable till all the dues of the Bureau of been fully paid and its claims satisfied or Bureau certifies that the terms and conditional and properly carried out by the said of Agreement have been fully and properly accordingly discharges this guarantee. Un	e and effect during the period that would be Agreement and that it shall continue to be under or by virtue of the said Agreement have discharged or till the authorized officer of the itions of the said Agreement have been fully Contractor (s) and accordingly of the said carried out by the said Contractor (s) and aless a demand or claim under this guarantee ewe shall be discharged from all
5. We	. further agree with the Bureau that
(indicate the name of Bank)	
manner our obligations hereunder to vary Agreement or to extend time to performance or to postpone for any time or from time a Bureau against the said Contractor (s) and conditions relating to the said agreement by reason of any such variation, or extensi- for any forbearance, act or commission or the Bureau to the said Contractor (s) or b	thout our consent and without affecting in any any of the terms and conditions of the said ce by the said Contractor (s) from time to time to time any of the powers exercisable by the id to forbear or enforce any of the terms and and we shall not be relieved from our liability ion being granted to the said Contractor (s) or in the part of the Bureau or any indulgence by any such matter or thing whatsoever which at for this provision, have effect of so relieving
6. This guarantee will not be discharged Bank or the Contractor (s) / Supplier (s).	due to the change in the constitution of the
7. We,	lastly undertake not to revoke this
(indicate the name of bank)	
guarantee during its currency except with t	the previous consent of the Bureau in writing.
	Dated the day of20
	For
	(indicate the name of bank)

Annexure-2

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

1.	Name of the	Firm/Company
----	-------------	--------------

- 2. Class of Registration with validity date:
- 3. Value of Registration:
- 4. Address for Communication:
- 5. Telephone No.:
- 6. E-mail:
- 7. Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification Experience	and

8. Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Financial Years for the work/job of similar nature (Certified copies of audited Balance Sheet to be submitted):

Financial Year	Annual Turnover (Rs.)	Copies of audited
		Balance Sheet enclosed
		(Yes/No)
2013-14		
2014-15		
2015-16		

- 9. PAN, TIN Number of the Firm/Company:
- 10. Service Tax Registration No.:
- 11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Name and Signature of the Firm/Company
Seal of the Firm/Company

	Seal of the Firm/Company	
Dated:		
Place:		

Annexure -3

Details of the Work/Service done of similar nature in the last three financial years

Name of the Bidder:

Year	Name & Address of the customer	Value of the Contract	Remarks

Note: - The turnover amount should be certified and audited by CA of firm and separate sheet should be enclosed

Annexure-4

Declaration regarding black-listing and/ or litigations

I/we hereby declare that our firm/agency is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its owner/partners/directors anywhere in India.

Date the	day of 2017.
	Signature of Bidder Name & Address of Bidder
	Seal of the Firm/Company